भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 268
जिसका उत्तर गुरुवार, 03 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या

268. डा. नरेन्द्र जाधव :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के संबंध में रिक्तियों की संख्या का ब्यौरा क्या है, तथा उच्च न्यायालयों में तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत कितना है; और

(घ) देश भर में उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के न्यायाधीशों का ब्यौरा तथा संख्या कितनी है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिशत के साथ इनके प्रतिनिधित्व का तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : तारीख 28.01.2022 तक स्वीकृत पद संख्या के समक्ष उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियों की संख्या और उच्च न्यायालयों का राज्य-वार ब्यौरा **उपाबंध** पर दिया गया है ।

(ख) से (ग) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के क्रमशः अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है । यह अनुच्छेद, महिलाओं सहित व्यक्ति की किसी जाति या वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करते है । इसीलिए, न्यायाधीशों की किसी जाति या वर्ग-वार से संबंधित डाटा नहीं रखा जाता है । तथापि, सरकार, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक भिन्नता के लिए प्रतिबद्ध है और उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों से अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को भेजते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, अल्पसंख्कों और महिलाओं से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों पर सम्यक विचार किया जाना चाहिए ।

****

उपाबंध

"उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या" से संबंधित राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 268 जिसका उत्तर तारीख 03.02.2022 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या	28.01.2022 तक कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या	रिक्ति
क	उच्चतम न्यायालय	**34**	**04**	**02**
ख	उच्च न्यायालय			
1	इलाहाबाद	160	93	67
2	आंध्र प्रदेश	37	20	17
3	बम्बई	94	60	34
4	कलकत्ता	72	39	33
5	छत्तीसगढ़	22	13	9
6	दिल्ली	60	30	30
7	गुवाहाटी	24	23	1
8	गुजरात	52	32	20
9	हिमाचल प्रदेश	13	9	4
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	17	13	4
11	झारखंड	25	20	5
12	कर्नाटक	62	45	17
13	केरल	47	39	8
14	मध्य प्रदेश	53	29	24
15	मद्रास	75	60	15
16	मणिपुर	5	4	1
17	मेघालय	4	3	1
18	उड़ीसा	27	18	9
19	पटना	53	26	27
20	पंजाब और हरियाणा	85	49	36
21	राजस्थान	50	28	22
22	सिक्किम	3	3	0
23	तेलंगाना	42	19	23
24	त्रिपुरा	5	5	0
25	उत्तराखंड	11	7	4
कुल		**1098**	**687**	**411**